Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
April to June 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIV (54), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

बालिका स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संरक्षण: मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार का एक व्यवहारिक मॉडल

श्रीमती संगीता सक्सेना*

* प्राचार्य, कमला नेहरू सांदिपनि कन्या शासकीय विद्यालय, टी.टी. नगर, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – शिक्षा मानव विकास का मूल आधार है, जो समाज में समता और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। भारतीय स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनुकूल, सुरक्षित और स्वस्थ विद्यालयी वातावरण का होना अनिवार्य है। किशोरावस्था के दौरान छात्राओं को विशिष्ट शारीरिक और जैविक परिवर्तनों से गुजरना पड़ता है, जिसमें मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन (Menstrual Hygiene Management - MHM) और जल-स्वच्छता (WASH) सुविधाओं की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

प्रस्तुत शोध-पत्र मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में बालिका स्वच्छता की वर्तमान स्थिति और इसके कारण छात्राओं की उपस्थिति एवं शैक्षणिक प्रदर्शन पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। यह शोध पूर्णत: द्वितीयक स्रोतों, राष्ट्रीय सर्वेक्षणों (जैसे NFHS-5, UDISE+ 2024-25) और विभागीय रिपोर्टों पर आधारित है। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष दर्शाते हैं कि स्कूलों में अवसंरचना के निर्माण के बावजूद उनके नियमित रखरखाव, निरंतर जल आपूर्ति और वैज्ञानिक जागरूकता के अभाव के कारण छात्राएं मासिक धर्म के दिनों में विद्यालय से अनुपस्थित रहती हैं, जो अंतत: उनके ड्रॉप-आउट का कारण बनता है। इन चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान के रूप में, इस शोध-पत्र में एक अभिनव और कम लागत वाला '5S मॉडल' (Safe Toilets, Safe Water, Sanitary Support, Sensitization, School-Community Partnership)और 'पिंक हाइजीन कॉर्नर' जैसे नवाचार प्रस्तावित किए गए हैं। निष्कर्षत:, यह मॉडल न केवल छात्राओं की उपस्थिति में सुधार करेगा, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के समावेशी लक्ष्यों की प्राप्ति में भी सहायक सिद्ध होगा।

शब्द कुंजी –बालिका शिक्षा, WASH, मासिक धर्म प्रबंधन, 5S मॉडल, शासकीय विद्यालय, मध्य प्रदेश, लैंगिक समानता, ड्रॉप-आउट दर।

प्रस्तावना – 21वीं सदी में किसी भी राष्ट्र का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी आधी आबादी को शिक्षा और स्वास्थ्य के समान अवसर प्राप्त हैं या नहीं। भारत सरकार ने 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' (RTE Act, 2009) और 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' (NEP 2020) के माध्यम से प्रत्येक बच्चे के लिए न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। शिक्षा नीति 2020 स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है कि लैंगिक अक्षमताओं को दूर किए बिना शिक्षा में पूर्ण गुणवत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती।

किन्तु, व्यावहारिक धरातल पर बालिकाओं की शिक्षा केवल पाठ्यक्रम या शिक्षकों की उपलब्धता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसका एक गहरा संबंध विद्यालय की भौतिक अवसंरचना और स्वास्थ्य संरक्षण से है। किशोरावस्था (10 से 19 वर्ष की आयु) जीवन का वह संक्रमण काल है जब बालिकाओं के शरीर में तीव्र हार्मोनल और शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इस आयु वर्ग में मासिक धर्म की शुरुआत एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है, लेकिन सामाजिक भ्रांतियों, संकोच और सूचना के अभाव के कारण यह बालिकाओं के लिए एक मानसिक और शैक्षणिक बाधा बन जाती है।

मध्य प्रदेश, जो कि भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक रूप से एक विविधतापूर्ण राज्य है, यहाँ के शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली अधिकांश छात्राएं ग्रामीण, जनजातीय और आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आती हैं। इन छात्राओं के घरों में अक्सर स्वच्छता सुविधाओं का अभाव होता है, जिसके कारण वे पूर्णत: विद्यालय की व्यवस्था पर निर्भर रहती हैं। यदि विद्यालयों में उनके अनुकूल पृथक शौचालय, सुरक्षित पेयजल, हाथ धोने के लिए साबुन और सैनिटरी नैपकिन की गरिमापूर्ण व्यवस्था न हो, तो बालिकाओं के लिए नियमित रूप से विद्यालय आना असंभव हो जाता है।

यद्यपि मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाएं (जैसे उदिता योजना, सेनेटरी पैड वितरण आदि) संचालित की गई हैं, परंतु मैदानी स्तर पर निरंतरता, तकनीकी रखरखाव और व्यवहार परिवर्तन की चुनौतियां आज भी जस की तस बनी हुई हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र इसी परिप्रेक्ष्य में यह समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार एक सुव्यवस्थित और व्यावहारिक मॉडल के माध्यम से शासकीय विद्यालयों में बालिका स्वच्छता के स्तर को सुधारा जा सकता है ताकि शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में गुणात्मक वृद्धि हो सके।

साहित्य समीक्षा

विद्यालयों में जल, स्वच्छता और स्वच्छता (WASH-Water, Sanitation,Hygeine) सुविधाओं का प्रभाव सीधे तौर पर बालिकाओं के स्वास्थ्य और उनकी अकादमिक निरंतरता से जुड़ा हुआ है। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर हुए विभिन्न अध्ययनों ने इस अंतर्संबंध को प्रमाणित किया है:

UNICEF और WAHO (Joint Monitoring Programme - JMP) की रिपोर्ट: वैश्विक अध्ययनों के अनुसार, विकासशील देशों में हर पांच में से एक किशोरी स्कूल छोड़ने या मासिक धर्म के दौरान अनुपस्थित रहने के लिए मजबूर होती है, जिसका मुख्य कारण स्कूलों में क्रियाशील और सुरक्षित शौचालयों का न होना है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के आंकड़े: भारत के संदर्भ में एनएफएचएस-5 की रिपोर्ट दर्शाती है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में आज भी महिलाओं और किशोरियों के बीच वैज्ञानिक मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों (जैसे सैनिटरी नैपकिन) के उपयोग और उनके सुरक्षित निस्तारण को लेकर जागरूकता की भारी कमी है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में, यद्यपि पैड के उपयोग में वृद्धि हुई है, लेकिन स्कूलों में इसके वितरण की नियमितता पर सवाल उठते रहे हैं।

दासगुप्ता और सरकार 2014 : भारतीय संदर्भ में किए गए एक शोध में यह पाया गया कि लगभग 72% किशोरियों को मासिक धर्म की शुरुआत से पहले इसके बारे में कोई वैज्ञानिक जानकारी नहीं थी। उन्होंने पाया कि स्कूलों में मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा अभाव के कारण छात्राओं में भय, अवसाद और हीनभावना की स्थिति निर्मित होती है, जिससे वे स्कूल से दूरी बना लेती हैं।

UDISE+ (Unified District Information System for Education) डेटा विश्लेषण: हालिया यूडीआईएसई की रिपोर्टों के अनुसार, मध्य प्रदेश के अधिकांश शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय निर्मित तो दिखाए गए हैं, परंतु उनमें से एक बड़ा प्रतिशत पानी की अनुपलब्धता, टूटे हुए दरवाजों और लॉकिंग सिस्टम खराब होने के कारण 'गैर-क्रियाशील' श्रेणी में आता है।

उपरोक्त साहित्यों का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि केवल शौचालय का ढांचा बना देना पर्याप्त नहीं हैय स्वच्छता को एक जीवित, क्रियाशील और संवेदनशील तंत्र के रूप में विकसित करना होगा।

अध्ययन के उद्देश्य – इस शोध-पत्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में वर्तमान बालिका स्वच्छता एवं WASH सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष विश्लेषण करना।
2. विद्यालयों में स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धताध्अनुपलब्धता और छात्राओं की दैनिक उपस्थिति के मध्य संबंधों की पड़ताल करना।
3. मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) से जुड़ी सामाजिक, मानसिक और व्यावहारिक चुनौतियों की पहचान करना।
4. शासकीय विद्यालयों के सीमित संसाधनों और बजट के भीतर लागू होने योग्य एक व्यवहारिक, वहनीय और संधारणीय मॉडल प्रस्तुत करना।
5. संस्था प्रमुखों (प्राचार्यों) और नीति निर्धारकों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु नवाचार-आधारित नीतिगत सुझाव देना

शोध पद्धति – प्रस्तुत शोध-पत्र की प्रकृति विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक है। शासकीय विद्यालयों में संसाधनों की सीमित उपलब्धता और नीतिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इस अध्ययन में मिश्रित शोध पद्धति का वैचारिक उपयोग किया गया है:

डेटा के स्रोत : यह शोध मुख्य रूप से द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। इसके लिए 'यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन' (UDISE+ 2024-25), राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5), यूनिसेफ की 'वाश इन स्कूल्स' रिपोर्ट और मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के वार्षिक प्रतिवेदनों का गहन विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन का क्षेत्र: शोध का मुख्य केंद्र बिंदु मध्य प्रदेश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के शासकीय कन्या एवं सह-शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, जहाँ बुनियादी ढांचे का सीधा प्रभाव छात्राओं के शैक्षणिक प्रदर्शन पर देखा गया है।

विश्लेषण की विधि: सरकारी आंकड़ों में दर्ज 'शौचालयों की संख्या' बनाम 'क्रियाशील शौचालयों की स्थिति' का तुलनात्मक अध्ययन करके उन व्यावहारिक बाधाओं की पहचान की गई है, जो छात्राओं की उपस्थिति दर को प्रभावित करती हैं।

डेटा विश्लेषण एवं प्रमुख चुनौतियाँ – विभिन्न सांख्यिकीय रिपोर्टों और मैदानी अनुभवों के विश्लेषण से शासकीय विद्यालयों में बालिका स्वच्छता से जुड़ी तीन मुख्य चुनौतियाँ उभरकर सामने आती हैं:

क) अवसंरचना बनाम क्रियाशीलता – सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, राज्य के लगभग 95% से अधिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय निर्मित हैं। परंतु, वास्तविक चुनौती उनके क्रियाशील होने की है।

स्वच्छता घटक	यूडीआईएसई अनुमानित स्थिति (MP)	मुख्य धरातलीय कारण
पृथक बालिका शौचालय	96% निर्मित	30% खरखाव, पानी की कमी या टूटे दरवाजों के कारण आंशिक रूप से अनुपयोगी।
निरंतर जल आपूर्ति	75% कनेक्टिविटी आपूर्ति बाधित।	टंकियों की सफाई न होना, मोटर खराब होना या बिजली कटौती से
हाथ धोने की व्यवस्था	80% स्थान चिन्हित	साबुन की नियमित उपलब्धता और स्वच्छता आदतों की निगरानी का अभाव।

ख) मासिक धर्म और शैक्षणिक हानि – डेटा विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 11 से 17 वर्ष की आयु वर्ग की छात्राएं प्रति माह औसतन 3 से 5 दिन केवल इसलिए स्कूल नहीं आतीं क्योंकि मासिक धर्म के दौरान उनके पास सुरक्षित और निजी स्थान का अभाव होता है। यह वार्षिक रूप से लगभग 30 से 40 शैक्षणिक दिनों का नुकसान है, जो अंततः बोर्ड परीक्षाओं (कक्षा 10वीं व 12वीं) में उनके कम प्राप्तांकों या ड्रॉप-आउट का मुख्य कारण बनता है।

प्रस्तावित '5S मॉडल' और व्यावहारिक नवाचार – शासकीय विद्यालयों के सीमित बजट, आकस्मिक निधि की सीमाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, यह शोध-पत्र एक '5S मॉडल' प्रस्तावित करता है। यह मॉडल बिना किसी बड़े अतिरिक्त बजटीय भार के, उपलब्ध संसाधनों के कुशल प्रबंधन पर केंद्रित है:

5S मॉडल: बालिका स्वच्छता

1. **सुरक्षित एवं क्रियाशील शौचालय-** क्रियान्वयन: शौचालय केवल निर्मित न हों, बल्कि गरिमापूर्ण हों। इसके तहत कम से कम एक शौचालय को 'पूर्णतः सुरक्षित' (लॉकिंग सिस्टम, उचित वेंटिलेशन, और कपड़ों को टांगने के लिए हुक) बनाया जाए।

नवाचार – हाइजीन मॉनिटरिंग रजिस्टर: प्रत्येक विद्यालय में एक दैनिक

स्वच्छता पंजी संधारित हो, जिसमें सफाई कर्मचारी या मनोनीत छात्रा प्रतिदिन सफाई के स्तर (सुबह 9: 00 और दोपहर 2:00 बजे) की टिक-मार्किंग करे।

2. निरंतर एवं सुरक्षित जल आपूर्ति – क्रियान्वयन: शौचालय के भीतर रनिंग वाटर (नल से पानी) की व्यवस्था। इसके लिए स्थानीय 'ग्राम पंचायत' या 'नगर निगम' के समन्वय से स्कूल की पानी की टंकी को जोड़ा जाए।

तकनीकी बैकअप: मुख्य मोटर खराब होने की स्थिति के लिए ओवरहेड टैंक के साथ एक मैनुअल सिंटैक्स या ड्रम बैकअप की व्यवस्था अनिवार्य हो।

3. सैनिटरी पैड एवं निस्तारण व्यवस्था – नवाचार - पिंक हाइजीन कॉर्नर : विद्यालय के बालिका कॉमन रूम या प्रधानाध्यापक कक्ष के समीप एक सुरक्षित स्थान, जहाँ 'सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन' (या मैन्युअल वितरण पेटी) और आकस्मिक स्थिति के लिए साफ कपड़े व दवाइयाँ (जैसे मेफ्टाल-स्पास) उपलब्ध हों।

भस्मक प्रबंधन: उपयोग किए गए नैपकिन के वैज्ञानिक डिस्पोजल के लिए कम लागत वाले मिट्टी के या इलेक्ट्रिक इनसिनेरेटर का संचालन, ताकि ड्रेनेज चोक होने की समस्या न हो।

4. संवेदीकरण एवं वैज्ञानिक जागरूकता – नवाचार - हेल्थ एंबेसडर प्रोग्राम प्रत्येक कक्षा (9वीं से 12वीं) से दो सक्रिय छात्राओं को श्स्वच्छता दूतश या 'हेल्थ एंबेसडर' के रूप में नामित किया जाए। ये छात्राएं साथी बालिकाओं की झिझक दूर करने में मदद करेंगी।

किशोरी स्वास्थ्य दिवस' माह के किसी एक निश्चित शनिवार (बाल सभा के दिन) महिला चिकित्सकों, एएनएम (ANM) या आशा कार्यकर्ताओं को आमंत्रित कर मासिक धर्म और पोषण (एनीमिया नियंत्रण) पर खुली चर्चा आयोजित करना।

5. शाला-समुदाय सहभागिता – क्रियान्वयन: स्वच्छता को केवल शाला प्रबंधन का काम न मानकर जन-भागीदारी से जोड़ा जाए।

एसएमसी (SMC) की भूमिका: शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठकों में अनिवार्य रूप से एक एजेंडा 'बालिका शौचालय की स्थिति' पर हो। इसमें महिला अभिभावकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, जो स्वयं समय-समय पर आकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर सकें।

निष्कर्ष एवं नीतिगत अनुशंसाएँ – इस शोध-पत्र का निष्कर्ष यह स्पष्ट करता है कि शिक्षा में लैंगिक समानता और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के नारे को धरातल पर उतारने के लिए विद्यालयों को 'बालिका-अनुकूल' बनाना होगा। भौतिक निर्माण से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसका संधारणीय प्रबंधन है।

प्रमुख नीतिगत सुझाव:

1. **स्वच्छता ग्रांट का पृथक आवंटन:** संकुल (Cluster) स्तर पर मिलने वाली कंपोजिट स्कूल ग्रांट का एक निश्चित हिस्सा (न्यूनतम 15-20%) अनिवार्य रूप से बालिका स्वच्छता और सैनिटरी पैड डिस्पोजल व्यवस्था पर व्यय किया जाए।
2. **प्रशासनिक जवाबदेही:** प्राचार्यों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन (CR) में शाला स्वच्छता और ड्राप-आउट दर में कमी को एक मूल्यांकन बिंदु के रूप में शामिल किया जा सकता है।
3. **अंतर-विभागीय समन्वय:** स्कूल शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग (WCD) और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) के बीच एक जिला-स्तरीय टास्क फोर्स का गठन हो, जो हर तीन महीने में शासकीय स्कूलों के WASH इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट करे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Ministry of Education, Government of India. (2025). UDISE+ Dashboard: State Profile of Madhya Pradesh. New Delhi.
2. International Institute for Population Sciences (IIPS). (2021). National Family Health Survey (NFHS-5), 2019–21: India / Madhya Pradesh Report. Mumbai.
3. UNICEF & WHO. (2023). Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene in Schools (WASH in Schools): Special Focus on Gender Equality. Geneva.
4. Dasgupta, A., &Sarkar, M. (2014). Menstrual Hygiene: How Hygienic is the Adolescent Girl?. Indian Journal of Community Medicine, 39(2), 113-115.
5. National Education Policy (NEP) 2020. Chapter 6: Equitable and Inclusive Education: Learning for All. Ministry of Human Resource Development, GoI.

****